कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्टर परिसर (भूतल) Ph./Fax No. 07752-238508 e-mail :- miningofficebilaspur@gmail.com

क्रमांक 1483 /खनि/डीएमएफ/2017 बिलासपुर, दिनांक 27/12/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
संवाद,
महिला थाना के सामने, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– जिला खनिज संस्थान न्यास बिलासपुर अंतर्गत स्वीकृत पद का विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत्।

––:00:––

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7–34/2016/XII नया रायपुर दिनांक 05 जुलाई 2017 के द्वारा दी गई पद संरचना की स्वीकृति एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 11.07.2017 द्वारा बिलासपुर जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत स्वीकृत विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– विज्ञापन।

अपर कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /खनि/डीएमएफ/2017 बिलासपुर, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग एवं व्यवस्थापक छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी, एनआईसी जिला कार्यालय बिलासपुर की ओर जिले के वेबसाईट में उक्त विज्ञापन को प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक/ 1482/खनिज/डीएमएफटी/2017 बिलासपुर, दिनांक 27/12/2017

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7–34/2016/XII नया रायपुर दिनांक 05 जुलाई 2017 के द्वारा दी गई पद संरचना की स्वीकृति एवम समसंख्यक पत्र दिनांक 11 जुलाई 2017 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु विकास सहायक, सहायक ग्रेड–03 एवं भृत्य के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु नीचे तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए निम्नानुसार योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक ......10-01-2018...... संध्या 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं किया जायेगा।

विज्ञापित पदो का विवरण

1. **विकास सहायक (संविदा) 02 पद (एक पद अनारक्षित एवं 01 पद अनु.जनजाति के लिये आरक्षित)**
2. **सहायक ग्रेड–03 (संविदा) 02 पद (एक पद अनारक्षित एवं 01 पद अनु. जनजाति के लिये आरक्षित)**
3. **भृत्य (संविदा) –02 पद (एक पद अनारक्षित एवम 01 पद अनु. जनजाति के लिये आरक्षित)**

शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान –

(1) विकास सहायक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यताएं , अर्हताए एवम वेतनमान–

(अ) **वेतनमान**–रूपये 75,000 प्रतिमाह निश्चित वेतन

(ब) **शैक्षणिक योग्यता–**

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा

(2) (2) Prime Ministers Rural Development Fellows Scheme [PMRDF] में Fellow के रूप में कार्य करने अथवा किसी समान पद पर 02 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य ।

(2) सहायक ग्रेड– 03 के पद हेतु शैक्षणिक योग्यताएं, अर्हताएं एवं वेतनमान –

(अ) **वेतनमान–** वेतन बैंड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन – 1900/–

(ब) **शैक्षणिक योग्यता–**

(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र अनिवार्य।

(2) भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) पद हेतु शैक्षणिक योग्यताएं, अर्हताएं एवं वेतनमान –

(अ) **वेतनमान** – वेतन बैंड रूपये 4750–7440/– ग्रेड वेतन – 1300/–

(ब) **शैक्षणिक योग्यता** – मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण

3. आरक्षण रोस्टर का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्र. एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04.12.2012 एवं छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29.11.2012 के द्वारा किया गया है, ।

आयु–

(1) उम्मीदवार की आयु **दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष** एवं **अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष** की होनी चाहिए।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करने के बाद भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु **अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।**

(2) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों के हित में शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर एक बार के लिए छ.ग. राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **35** वर्ष में 5 वर्ष की छूट कलैण्डर वर्ष 2016 तक की समाप्ति तक है एवं उक्त परिपत्र के कंडिका 3 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेंगी।

(4) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(6) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उच्चतर आयु सीमा में छुट दी जावेगी :–

  (1) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

  (2) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगा।

  (3) ऐसा अभ्यर्थी जो ''छटनी'' किया गया शासकीय सेवक'' हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कलावधि भले ही वह कलावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(7) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बषर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

<u>**स्पष्टीकरण–**</u> शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियासतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन बचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर अथवा

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हों।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दिव्यांग होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(8) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक षिथिलनीय होगी।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(10) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा में वही छूट देय होगी जो राज्य शासन द्वारा सेवा के समस्त संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू हो।

(11) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–3–1/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छुट दी जावेगी

जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छुट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(12) आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

(13) आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(14) आयु के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(15) सभी प्रकार की आयु में छूटों में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। **यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट ही मिलेगी।** उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्सबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(1) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) लिफाफे के ऊपर अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करें।

(3) उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जावे, जो कि स्वप्रमाणित हो।

(4) आवेदक दो लिफाफा में अपना नाम एवं पूर्ण पता अंकित कर, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो भी डालें एवं आवश्यक डाक टिकिट चस्पा कर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) विवाहित महिला उम्मीदवारों का उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे।

(6) आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(7) शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा या आवेदन पत्र नियोक्ता द्वारा उचित माध्यम से अग्रेषित किया जावेगा।

(8) भूतपूर्व सैनिक अपने आवेदन पत्र के साथ सैनिक सेवा से सेवानिवृत्ति/सेवा से मुक्त किये जाने अथवा अन्य सेवा से संबंधित सुसंगत स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) छ.ग. राज्य के अनुसूचित जनजाति, के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत शामिल किया जावेगा।

(10) वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र अंतिम तिथि 10-01-2018 **को संध्या 5:30 बजे** तक केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट से, **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)** में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यमों से

आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक में विलम्ब होने/गुम होने की दशा में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

चयन प्रक्रिया :–

(1) विज्ञापित पदों के लिए निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा परीक्षण/जाचोंपरान्त पात्र/अपात्र की सूची जारी करते हुए दावा आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी ।

(2) अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्तियों का छानबीन/चयन समिति द्वारा परीक्षण/ जाचोंपरान्त दावा आपत्ति निराकरण सूची जारी किया जावेगा।

(3) विकास सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता के अंको के आधार पर वर्गवार 1:15 के अनुपात में अंतरिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी । न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(4) सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अंकों के आधार पर वर्गवार 1:15 के अनुपात में अंतरिम मेरिट सूची तैयार कर कौशल परीक्षा (कम्प्यूटर पर हिन्दी एवम अंग्रेजी टायपिंग) के लिये बुलाया जावेगा।

(5) चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा (कम्प्यूटर में हिन्दी एवम अंग्रेजी टायपिंग में पृथक–पृथक) 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति से उत्तीर्ण करनी होगी । अनुतीर्ण अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र माने जायेगे । कौशल परीक्षा निर्धारित मानक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

(6) यदि निर्धारित पदों के अनुरूप उपरोक्त योग्यता अनुसार अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष बचे अभ्यर्थियों को 1:15 के अनुपात में पुनः वर्गवार कौशल परीक्षा के लिये आहूत कर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(7) भृत्य (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों में से उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवी में प्राप्त अंको के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

(8) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर बिलासपुर को होगा ।

नियम एवं शर्ते :–

(3) छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवष्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी किन्तु उन्हें संबंधित विभाग के नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा)।

(4) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(5) विज्ञापन तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत हो जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(6) पद के लिये निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं न्यूनतम है और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

(7) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

(8) अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।

(9) विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

(10) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका 6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरान्त आवेदक से उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें प्रमाण पत्र गलत तथा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू–राजस्व की भांति वसूल किये जाने की सहमति एवं प्रदत्त कानूनों के तहत् दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

(11) जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक/प्रतिशत के बजाय CGPA(Grade) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिषत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।

(12) चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(13) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्र/अपात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर बिलासपुर को होगा।

(14) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(15) चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।

(16) विकास सहायक के पद पर की गई उपरोक्त संविदा नियुक्ति तीन वर्षो के लिये होगी तथा प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(17) सहायक ग्रेड–03 के पद पर की गई उपरोक्त संविदा नियुक्ति तीन वर्षो के लिये होगी तथा प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(18) चयनित उम्मीदवार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस से कराया जायेगा और पुलिस से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

(19) संख्या में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जावेगी। इस संबंध में की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ता सहित किसी भी अन्य प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

(20) **आयु की गणना 01.01.2018 की स्थिति में की जावेगी।**

(21) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 की पात्रता/अर्हताएं लागू होंगी।'

(22) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(23) उपरोक्त विज्ञापित पदों की वर्गवार कुल संख्या की दोगुनी संख्या में मेरिट सूची जारी की जावेगी। अंतिम चयन पश्चात् मेरिट सूची के शेष अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा,जो अंतिम चयन हेतु एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(24) किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर, बिलासपुर ,(छ.ग.) का होगा।

(24) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

महत्वपूर्ण सूचना :–

1. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूपेण अवलोकन करें तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देख कर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता की दशा में चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. विज्ञापन/आवेदन–प्रारूप एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय बिलासपुर के सूचना फलक अथवा इस जिले के वेबसाइट www.bilaspur.gov.in पर उपलब्ध है।

कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास, बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन–पत्र का प्रारूप

....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

वर्ग ....

स्वअभिप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा करें।

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला–बिलासपुर,(छ.ग.)

1.	आवेदित पद का नाम	:–	....
2.	आवेदक का नाम(हिन्दी में)	:–	....
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	:–	....
3.	लिंग महिला / पुरूष	:–	....
4.	पिता / पति का नाम	:–	....
5.	वर्तमान डाक का पता जिस पर पत्र व्यवहार किया जावेगा	:–	....
6.	स्थायी पता	:–	....
7.	मोबाईल नंबर	:–	....
8.	राष्ट्रीयता	:–	....
9.	अ–जन्मतिथि (अंको में)	:–	वर्ष ....माह ....दिन..........
	(शब्दों में)	:–	....
	ब–(दिनांक 01.01.2018 को आयु)	:–	वर्ष............................माह............................दिन............
		:–	....
10.	जन्म स्थान	:–	ग्राम / नगर ....तहसील......................... जिला.........................राज्य ....पिन.............

11. शैक्षणिक योग्यता(प्रत्येक प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें) :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

12. जाति का विवरण जो लागू हो कृपया सही (✓) का निशान लगायें :–

(अ) अजजा ☐ अजा ☐ अपिव ☐ सामान्य ☐

(ब) जाति का विवरण
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
(स) क्या आप विशेष पिछड़ी जनजाति के उम्मीदवार हैं यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ....

13. अ–रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....
ब– रोजगार कार्यालय का नाम ....
(रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हाँ तो सक्षम ....
अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
15. क्या आप विवाहित हैं? यदि हाँ तो विवाह की तिथि..........
16. जीवित बच्चों की संख्या (बच्चों का नाम/लिंग एवं जन्मतिथि सहित) ....
17. भूतपूर्व सैनिक सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रतिसंलग्न करें..........
18. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिषत ....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
19. छ.ग. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र ....
क्रमांक .... दिनांक .... जारीकर्त्ता अधिकारी ....
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
20. क्या अभ्यर्थी के विरूध्द दाण्डिक प्रकरण ....
किसी पुलिस थानें/न्यायालय में लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुके हैं? यदि हां. तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
21. आवेदक शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था में सेवारत है/थे?(यदि हां तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
22. आवेदक को दो कोरा लिफाफा जिस पर अपना पत्र व्यवहार का पता व 5/– रूपये का डाक टिकट एवं दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।

संलग्न :– सत्यापित प्रमाण–पत्रों की सूची विवरण सहित :–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण /समस्त अभिलेख मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पाई जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रदद या निरस्त की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस आधार पर मुझे बिना नोटिस दिए मेरी नियुक्ति/सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

स्थानः–
दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम व पता ....